Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बीकानेर में उप निरीक्षक पुलिस को 8 हजार रूपये रिश्वत लेते किया गिरफ्तार**
- **आरोपी के ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, 18 नवम्बर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय के निर्देश पर भ्रष्ट अधिकारियों पर रखी जा रही सतत निगरानी में आज बुधवार को एसीबी की बीकानेर इकाई द्वारा पुलिस थाना नोखा बीकानेर के उप निरीक्षक पुलिस हनुमान राम को 8 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की बीकानेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि पुलिस थाना नोखा में उसके विरूद्ध दर्ज एक प्रकरण में परिवादी की माताजी व बहन का नाम हटाने के एवज में अनुसंधान अधिकारी हनुमान राम उप निरीक्षक पुलिस द्वारा 1 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर परेशान कर रहा है।

जिस पर **एसीबी बीकानेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रजनीश पूनियां** के नेतृत्व में श्री आनन्द कुमार पुलिस निरीक्षक एवं उनकी टीम द्वारा उक्त मांग का सत्यापन करवाकर आज ट्रेप कार्यवाही करते हुये **हनुमान राम** पुत्र श्री भींयाराम नि0 रोटू, तह0 जायल, जिला नागौर हाल **उप निरीक्षक पुलिस थाना नोखा, बीकानेर को 8 हजार रूपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एम.एन. के निर्देशन** एसीबी टीमों द्वारा आरोपी से पूछताछ एवं उसके आवास तथा अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064*** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834*** पर सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।